



Neutral Citation No. -2026: AHC:127978

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 20124/2026

सज्जाद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: सफीउल्लाह

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की वाद अपराध संख्या 35/2026, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद की धारा 2क(1) के अंतर्गत एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- चन्दौसी, जनपद- सम्भल में जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे इस वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक की ओर से यह भी निवेदित किया गया है कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध दो आधारभूत मुकदमे दर्शाए गए हैं तथा उन सभी मुकदमों में, आवेदक जमानत पर है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि वर्तमान वाद तथा गैंग चार्ट में उल्लिखित दो आधारभूत मुकदमों के अतिरिक्त आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के अनुच्छेद संख्या 10 में दिया है।
4. आगे यह भी निवेदन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, आवेदक के विरुद्ध लोक व्यवस्था भंग करने अथवा अनुचित सांसारिक, आर्थिक, भौतिक अथवा इसी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त करने संबंधी आरोप अत्यंत अस्पष्ट एवं सामान्य प्रकृति के हैं। यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित "गिरोह" एवं "गैंगस्टर" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी विशिष्ट कृत्य अथवा चूक का आरोप न होने की स्थिति में ऐसी एफ.आई.आर. विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती। वर्तमान प्रकरण में, एफ.आई.आर. केवल लंबित आपराधिक मुकदमों के आधार पर दर्ज की गई है, न कि किसी नए आरोप अथवा ऐसे नवीन तथ्य की खोज के आधार पर, जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो और जिसके निवारण के उद्देश्य से उक्त अधिनियम अधिनियमित किया गया था।



5. यह भी तर्क दिया गया कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने, नागरिकों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित अथवा भयभीत करने या राजनीतिक अथवा अन्य कारणों से व्यक्तिगत द्वेष निकालने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता।
6. यह भी निवेदित किया गया कि इस वाद में, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने केवल अपनी कार्यकुशलता प्रदर्शित करने, प्रशंसा प्राप्त करने अथवा शासन अथवा सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से सराहना प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं, जो पूर्णतः अनुचित एवं अवैध है।
7. आगे यह भी कहा गया कि उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह कोई अपराध/अपकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जमानत पर रहने के दौरान आवेदक न तो कोई अपराध करेगा और न ही किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आवेदक 07.05.2026 से इस प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है तथा इस बात की कोई आशंका नहीं है कि, अगर आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह कानून की प्रक्रिया से भाग जाएगा या विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होगा, साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य या सामग्री इतनी मज़बूत नहीं है कि यह माना जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में बताए गए अपराधों का दोषी है।
9. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक जमानत पर है। तथापि, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है तथा अपराध करने का अभ्यस्त व्यक्ति है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः इसी प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर एवं भयभीत कर जमानत का दुरुपयोग कर सकता है।
11. उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है —
“(4) संहिता में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियुक्त, यदि अभिरक्षा में है, तो उसे जमानत पर अथवा निजी बन्धपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक—
(ए) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो, तथा



(बी) यदि लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार हैं कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।"

12. उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री, गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

13. **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713** में, यह प्रतिपादित किया है कि अनेक निर्णयों में यह स्थापित किया जा चुका है कि संविधान के भाग-III द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के दायरे में न केवल विधि द्वारा स्थापित समुचित प्रक्रिया एवं निष्पक्षता सम्मिलित है, बल्कि न्याय तक पहुँच तथा शीघ्र विचारण का अधिकार भी सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम भारत संघ में, यह प्रतिपादित किया गया कि विचाराधीन बंदियों को विचारण लंबित रहने के कारण अनिश्चितकाल तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। आदर्शतः, किसी भी व्यक्ति को उसके कृत्यों के प्रतिकूल परिणाम तब तक नहीं भुगतने चाहिए जब तक कि वे किसी निष्पक्ष न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष सिद्ध न हो जाएँ। तथापि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों में प्रभावी विचारण सुनिश्चित करने तथा संभावित अपराधी के विचारण लंबित रहने के दौरान मुक्त रहने से समाज को उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से न्यायालयों पर यह दायित्व होता है कि वे यह निर्णय करें कि किसी व्यक्ति को विचारण लंबित रहते हुए जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए अथवा नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि समयबद्ध विचारण संभव नहीं है तथा अभियुक्त पर्याप्त अवधि तक कारावास में रह चुका है, तब सामान्यतः न्यायालय उस अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होंगे।

14. उपर्युक्त पक्षकारों के तर्कों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक संरक्षण तथा **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2018) 3 एससीसी 22 & सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य, एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 5191/2021** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आदेशित किया जाता है कि आवेदक- **सज्जाद**, जो उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त है, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु वाद नियत हो तथा साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह स्थगन नहीं माँगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानेगा तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करें।



(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसके अनुपस्थित रहने की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/ धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा उद्घोषणा में निर्दिष्ट तिथि पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद का आरंभ, (2) आरोप का गठन तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानेगा तथा विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की दशा में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 जून, 2026

कीर्ति